1:25 PM
29/11/2021

No 4389 /EOC

संख्याः / V-1/2021-39(आ0) / 2019

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

ADM GL/LAA

जिलाधिकारी
25/11/2021

सेवा में,

अपर आवास आयुक्त,
उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद्,
देहरादून।

आवास अनुभाग-1 **देहरादूनः दिनांक 22 नवम्बर, 2021**

विषयः- उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा-32 के अन्तर्गत आवास एवं विकास परिषद् के अधिकार क्षेत्र में घोषित सम्पत्तियों के भू-उपयोग निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-470/उ0आ0वि0परि0 पत्रा0सं0-34(2020-21), दिनांकः 08.10.2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा-16 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा आवास एवं सुधार योजना बनाये जाने की व्यवस्था एवं उक्त सुधार योजनाओं हेतु उक्त अधिनियम की धारा-28 एवं 29 में नोटिस निर्गमन तथा धारा-30 में आपत्तियों की प्राप्ति, धारा-31 में आपत्तियों के निराकरण उपरान्त योजना का प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने की व्यवस्था तथा धारा-32 के अन्तर्गत प्रस्ताव के स्वीकृति के उपरान्त गजट में प्रख्यापन की प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-59 के अनुसार धारा-28/32 के विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त विज्ञापित होने के दिनांक से उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 के प्राविधान लागू हो जायेंगे एवं इस क्षेत्र में उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के प्राविधान स्वतः समाप्त हो जाते हैं, के दृष्टिगत उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा-44(2) के अन्तर्गत दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सम्यक् परीक्षणोरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं विकास परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम-2009 की धारा-46 का अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत प्रस्तावित परियोजनाओं को उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा हाथ में लेने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-59 के अनुसार धारा-28/32 के अन्तर्गत विज्ञप्ति के प्रकाशनोपरान्त जिस प्रयोजनार्थ योजना लागू की गयी है, स्वतः ही भूमि संबंधित प्रयोजनार्थ मानी जायेगी एवं संबंधित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार से यह स्वतः बाहर हो जायेगी, के आलोक में

304/LBA

सचिव, हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार

(8)

उत्तराखण्ड (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965) (संशोधन) अधिनियम–2009 के विहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त व्यवस्थानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3– तत्क्रम में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शासन द्वारा जिस प्रयोजन हेतु प्रख्यापन की धारा–32 के अन्तर्गत परियोजना अधिसूचित की जायेगी, के क्रम में भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा तथा उक्त भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन बिना शासन की अनुमति के नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्याः 744/V-1/2021–39(आ0)/2019, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3. उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
4. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण/हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6. गार्ड पत्रावली।

304/LBA

सचिव

HRDA

30/11/21

आज्ञा से,

(चिरंजी लाल)
अनु सचिव।